निर्णय न्यायालय श्री मनोज कुमार वर्मा, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
740/2018	26.12.2018	08/07/19

1. पवन पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहमण निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूंगर
—प्रार्थी

बनाम

2. लेण्ड होल्डर तहसीलदार मलारना डूॅगर
—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत करवाये जाने पत्थरगढी
अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट

उपस्थित :—श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 184 में खसरा नम्बर 1260 रकबा 2.53 है0किस्म बारानी वाके ग्राम बिच्छीदोना तहसील मलारना डूॅगर में स्थित है रकबा 0.14 हैक्टर ग्राम खिरनी ए में स्थित है। जिसके मुताबिक जमाबंदी प्रार्थी के अतिरिक्त प्रार्थी का सगा भाई बृजकिशोर प्रार्थी की दोनो बहने तारा व गुडडी एवं माता द्रोपदी बराबर के सहखातेदार है तथा मौके पर हम सभी ने बराबर बराबर उक्त आराजी के बटवारे कर रखे है तथा इसी प्रकार कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। परन्तु बाहर गांव रहने के कारण उनके द्वारा प्रार्थी के साथ उक्त प्रार्थना पत्र पेश न करके मुझ प्रार्थी द्वारा ही उनकी सहमति से उक्त प्रार्थना पत्र पत्थर गढी करवाने वास्ते पेश किया जा रहा है। प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी चारो तरफ से अन्य खातेदारों की कृषि भूमि से घिरी हुई है तथा प्रार्थी के परिवार जन एवं उक्त आराजी सह खातेदार अधिकतर बाहर रहने के कारण उक्त आराजी की ठीक प्रकार से सार—संभाल नही कर पाने के कारण अन्य पडोसी खातेदारों द्वारा उक्त आराजी को चारो ओर से दबाने की नियत रखने के कारण प्रार्थी उक्त संपूर्ण आराजी के चारो ओंर पत्थर गढी करवाना चाहता है। जिससे भविष्य में अन्य खातेदारों के साथ कोई विवाद न हो तथा प्रार्थी की उक्त आराजी की सीमाओं की भी चारों ओर से सुरक्षा हो सके इस कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त आराजी प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों की पैतृक आराजी है। जिसका पुराना खसरा नम्बर 927/2 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल नये 1260 रकबा 2.53 हैक्ट0 बनाये गये है। प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी का दिनांक 28.06.2018 को तहसीलदार मलारना डूंगर के आदेश कमांक/एल आर/18/2207 दिनांक 20.06.18 की पालना में उक्त आराजी का पटवारी हल्का बिच्छीदौना व पटवारी हल्का सांकडा द्वारा मुझ प्रार्थी के

08/07/19
(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूॅगर

Scanned by CamScanner

को पुलिस जाब्ते सहित सीमाज्ञान करवाया गया था। चारो तरफ का ... का पटवारी हल्का द्वारा सीमांकन भी करवाया गया था। जिससे प्रार्थी संतुष्ट था। सीमांकन होने के पश्चात् प्रार्थी उक्त आराजी के चारो ओर पत्थर गढी करवाकर उसकी सुरक्षा की दृष्टि पत्थर गढी करवाना चाहता है। प्रार्थी का अन्य किसी पडोसी खातेदारो से कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी मात्र अपनी उक्त आराजी के सीमांकन पर होकर पत्थर गढी करवाकर उक्त आराजी की सुरक्षा करवाना चाहता है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र मजूंर फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1260 रकबा 2.53 हैक्ट0 ग्राम बिच्छीदौना पर सीमांकन अनुसार पत्थर गढी करवाये जाने के आदेश फरमायें जावें । इस हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जा कर तलवी अप्रार्थी तहसीलदार जरिए सम्मन की गई। बावजूद तामिल अप्रार्थी तहसीलदार उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र में अन्य सहखातेदारों की सहमति पत्र पेश नहीं किये गये थे। जो दिनांक 27.02.2019 को सह खातेदारों द्वारा सहमति पत्र पेश किया गया।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1260 रकबा 2.53 हैक्ट0 ग्राम बिच्छीदौना पर सीमांकन अनुसार पत्थर गढी करवाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त आराजी प्रार्थी खातेदारी भूमि है।तथा अन्य सहखातेदारों को इसमें कोई आपत्ती नही हैं । अतः प्रार्थी की आराजी में पत्थर गढी करवाई जाने का आदेश दिया जाना उचित है।

निर्णय

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि भूमि ख0नं0 1260 प्रार्थी की सम्मिलित खातेदारी की भूमि है। अतःतहसीलदार मलारना डूंगर को उक्त आराजी के चारो ओर पत्थर गढी करवाये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति वास्ते पालना तहसीलदार मलारना डूंगर को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

। निर्णय आज दिनांक 08/07/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार वर्मा) 08/07/19
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

नोट:— उक्त आदेश दिनांक 8.7.19 में प्रथम पृष्ठ की चतुर्थ पंक्ति में "रकबा 0.14 है. ग्राम रिछी A में लिखित है।" को इजाफा समझकर पढा जावे।

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2019.11.14 12:38:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: